

मुकदमों का विवरण

मेसर्स हर्ष ऑटोमोबाइलिस प्राइवेट लिमिटेड v.

इंदौर नगरपालिका निगम (2023 की सिविल अपील संख्या 5362) 09 अक्टूबर, 2023

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या अपीलार्थियों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन बोर्ड या साइन बोर्ड या नाम बोर्ड "विज्ञापन" के चरित्र में भाग लेंगे ताकि विज्ञापनों को आकर्षित किया जा सके। 132 मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 और इस प्रकार मांग (विज्ञापन कर के भुगतान के लिए) को बनाए रखा जाना है।

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, **1956 -s.132**-अपीलकर्ताओं ने संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अपना नाम बोर्ड प्रदर्शित किया जिसमें बेचे गए संबंधित वाहनों की प्रकृति को भी दर्शाया गया था और यह अपीलकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अविभाज्य हिस्सा होगा- विज्ञापन कर के भुगतान के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ मांग नोटिस उठाए गए थे-इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: केवल उस उत्पाद के नाम का उल्लेख करने से जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है, विज्ञापन के चरित्र में तब तक भाग नहीं लेगा जब तक कि ऐसे प्रदर्शन ग्राहकों द्वारा अनुरोध नहीं किया जाता है-किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा नाम बोर्ड या साइन बोर्ड के प्रदर्शन के अभाव में, यह संभावित ग्राहक को ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पहचान करना लगभग असंभव होगा जिससे संभावित ग्राहक खरीदने का प्रस्ताव रखता है-हालांकि, यदि इस तरह से प्रदर्शित साइन बोर्ड किसी भी तरह से किसी विशेष उत्पाद या वस्तु या सेवा को बढ़ावा देंगे या दूसरे शब्दों में यह ग्राहकों को उत्पाद या वस्तु या सेवा के एक विशेष ब्रांड को खरीदने के लिए आकर्षित करेगा और ऐसा प्रदर्शन उत्पाद/सेवा के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ग्राहकों से अनुरोध करता है, तो यह विज्ञापन के बराबर हो सकता है, जबकि बाद वाला।

28 29

मेसर्स हर्ष ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 30 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

यह केवल जनता के लिए एक सूचना होगी-वैधानिक प्रावधान नगर निगम या उसकी एजेंसी को नाम बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जानकारी के प्रदर्शन के लिए कर की मांग करने का अधिकार नहीं देते हैं-यह वैधानिक प्रावधानों से सामने आएगा कि विधायी इरादा कभी भी साइन बोर्ड पर कर देयता लागू नहीं करना था, बल्कि केवल विज्ञापन पर-प्रथम दृष्टया, साइन बोर्ड अपीलकर्ताओं की

कंपनियों द्वारा तत्काल अपीलों में प्रदर्शित डिस्प्ले बोर्ड हैं जो इंगित करते हैं कि उन्होंने अपने-अपने परिसरों में जनता को उनके द्वारा व्यवहार किए जा रहे उत्पादों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदर्शित की है और यह ग्राहकों के किसी भी अनुरोध को प्रतिबिंबित नहीं करेगा या आम जनता को अपीलकर्ताओं द्वारा व्यवहार किए गए और बोर्ड पर प्रदर्शित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करेगा-तत्काल मामले में, दोनों अपीलकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी[पैरा 18,19]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

भारती एयरटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य डब्ल्यू. पी. नं. 2012 का 2296 आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम ग्रेटर नगर निगम पर निर्णय लिया गया

बॉम्बे [2005] 2 पूरक।एससीआर 62:(2005) 6 एससीसी 404; नगर निगम

ग्रेटर बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड [2002] 2 एससीआर

860 :(2002) 4 एस. सी. सी. 219-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 5362।2016 के डब्ल्यू. पी. No.1842 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2023 की सिविल अपील No.5363।

रूप:

सुश्री मंजुला बक्सला, मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास के लिए कपिल अरोड़ा, नीरज शर्मा, राघव गुप्ता, सुश्री महिमा शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।मिश्रा सौरभ, अंबर पारे, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश अरविंद कुमार, जे।

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2016 के डब्ल्यू. पी. No.1842 और 2012 के डब्ल्यू. पी. No.2106 में पारित दिनांकित 24.10.2017 आदेश, जिसके तहत विज्ञापन कर के भुगतान के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ उठाए गए मांग नोटिसों को निम्नलिखित निर्णय पर भरोसा करके लागू किया गया:

भारती एयरटेल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य का डब्ल्यू. पी. सं. **2296** में प्रस्तुत किया गया **2012 12.01.2015** पर निर्णय को प्रश्न में बुलाया गया है।

आरई:**2016** के डब्ल्यू. पी. **No.1842** में पारित अंतिम आदेश और दिनांकित **24.10.2017** निर्णय से उत्पन्न **2023** के **C.A.5362** में तथ्य

2. अपीलार्थी 14 रुक्मिणी प्लाजा, एबी रोड, इंदौर में परिसर का अधिभोगकर्ता है और हुंडई पैसेंजर कारों का विक्रेता है और अन्य स्थानों के अलावा उक्त परिसर में उक्त व्यवसाय कर रहा है। अपीलार्थी ने उस परिसर में अपने व्यापार नाम और व्यवसाय के साथ एक नाम बोर्ड प्रदर्शित किया है जहाँ व्यवसाय चलाया जा रहा है। दूसरे प्रतिवादी ने 04.07.2015 पर एक नोटिस जारी किया जिसमें नगरपालिका अधिनियम, 1965 की धारा 189-ए के तहत अपने परिसर में प्रदर्शित साइन बोर्ड के लिए विज्ञापन कर की वसूली के लिए रु. 2,03,850 की राशि की मांग की गई। अपीलार्थी द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी और तर्क दिया गया था कि साइन बोर्ड लगाना और अपीलार्थी के व्यवसाय का नाम प्रदर्शित करना "विज्ञापन" की अवज्ञा के दायरे में नहीं आएगा, बल्कि यह साइन बोर्ड के माध्यम से अपना नाम और व्यवसाय प्रदर्शित कर रहा था क्योंकि आम जनता के लिए व्यवसाय का नाम और प्रकृति और उस उत्पाद को जानना आवश्यक होगा जिससे वह व्यवहार कर रहा था। इस नोटिस से व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए विवादित आदेश द्वारा याचिका खारिज कर दी। इसलिए यह अपील की गई है।

आरई:**2012** के डब्ल्यू. पी. **No.2106** में पारित दिनांकित **24.10.2017** आदेश और निर्णय से उत्पन्न **2023** के सी. ए. **5363** में तथ्य।

अपीलार्थी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और आम जनता को कंपनी का नाम और व्यवसाय और उसके व्यवसाय और उसके उत्पादों की प्रकृति के बारे में बताने के लिए, अपीलार्थी कंपनी 31

मेसर्स हर्ष ऑटोमॉबिलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.] 32

जिसने व्यावसायिक परिसर के भीतर अपने व्यापार नाम को प्रदर्शित करने वाला एक नाम बोर्ड लगाया है, जिसमें उन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है जिनमें अपीलार्थी सौदा कर रहा है और इस प्रकार दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया अधिसूचना जिसमें रुपये के विज्ञापन कर की मांग की गई है-और दूसरे परिसर के संबंध में जहां अपीलार्थी द्वारा इसी तरह का बोर्ड लगाया गया था, एक अन्य सूचना जिसमें रुपये के विज्ञापन कर की मांग की गई है। इन नोटिसों का

विधिवत जवाब अपीलार्थी द्वारा उसी पर आपत्ति जताते हुए और अन्य बातों के साथ यह तर्क देते हुए दिया गया था कि वह कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपना खुद का व्यापार नाम और व्यावसायिक साइन बोर्ड प्रदर्शित कर रहा था और नोटिस को वापस लेने की मांग की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि जारी किया गया नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि लसुडिया मोरी, एबी रोड, तहसील और जिला इंदौर में स्थित इसका एक परिसर नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित था और इसलिए कोई कर नहीं लगाया जाता था। इसलिए, नोटिस वापस लेने की मांग की गई।

3. इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी ने 08.02.2012 पर एक और नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अपनी पहले की 1,82,137.50 की राशि को संशोधित कर Rs.46,050 कर दिया। इस नोटिस को 2012 की रिट याचिका No.2106 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने भारती एयरटेल (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा करते हुए दिनांक 24.10.2017 के विवादित आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

4. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं श्री कपिल अरोड़ा और श्री नीरज शर्मा, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मिश्रा सौरभ की दलीलें सुनी हैं।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का यह तर्क है कि भारती एयरटेल (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके विवादित आदेश पारित किए गए हैं, जो कि तथ्यों पर लागू नहीं था क्योंकि उक्त मामले में शामिल मुद्दा इस बात से संबंधित था कि क्या नगर निगम विज्ञापन कर के संग्रह के उद्देश्य से कर संग्रह एजेंट नियुक्त कर सकता है? और एक व्यापारी या एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में व्यापार के नाम और व्यवसाय की प्रकृति के प्रदर्शन से संबंधित प्रश्न, जहां व्यवसाय किया जा रहा है, एक विज्ञापन के समान होगा, उक्त मामले में न तो मुद्दे की जांच की गई थी और न ही निर्णय लिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि एक व्यापारी द्वारा अपने परिसर में व्यापार के नाम और व्यवसाय की प्रकृति का प्रदर्शन करना उचित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

"विज्ञापन" के लिए और इस तथ्य पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के तहत विचार नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हुए अपनी दलीलों को और विस्तार से प्रस्तुत करेंगे कि यदि पहचान के उद्देश्यों के लिए अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना या ग्राहकों को परिसर की पहचान जानने के लिए विज्ञापन के बराबर होगा तो सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, डॉक्टरों, अधिवक्ताओं, इंजीनियरों, वास्तुकारों, सलाहकारों, स्कूलों, कॉलेजों, होटलों, रेस्तरां आदि जैसे पेशेवरों द्वारा लगाए गए साइन बोर्ड भी

विज्ञापन के दायरे में आएंगे और विज्ञापन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एफ. आई. आर. एम. के नाम को प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्ड को न लगाने के परिणामस्वरूप जनता या ग्राहक किसी विशेष उत्पाद को खरीदने या अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यापक शोध और सर्वेक्षण करेंगे। वे यह भी तर्क देंगे कि जहां ग्राहकों को आकर्षित करने और किसी विशेष उत्पाद की खरीद को बढ़ावा देने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और किसी विशेष स्थान पर उक्त उत्पाद या सेवा की जानकारी प्रदान की जाती है, वह एक 'विज्ञापन' होगा, जबकि व्यापार प्रतिष्ठान के नाम और उसके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को केवल आम जनता के लिए एक जानकारी होगी और इस तरह की जानकारी का प्रदर्शन विज्ञापन के बराबर नहीं होगा और इस तरह यह कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. वे यह भी तर्क देंगे कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्डों पर "विज्ञापन कर" लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है। 7. 2023 की सिविल अपील No.5363 (2018 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 5761) में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह भी तर्क देंगे कि इंदौर नगर निगम अधिनियम, 1956 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बनाए गए इंदौर नगर निगम (विज्ञापन, उप-कानून) इंदौर नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित परिसरों में विज्ञापन कर लगाने का आदेश देगा और अपीलार्थी का व्यावसायिक परिसर नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित था, अर्थात् लसुडिया मोरी, तहसील और जिला इंदौर में परिसर नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर नहीं आ रहा था और जैसा कि देखा गया है कि यह विज्ञापन कर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होगा और ऐसा शुल्क अधिकार क्षेत्र के बिना होगा। इसलिए, उन्होंने अपील को स्वीकार करने की मांग की है।

33

मेसर्स हर्ष ऑटोमॉबिलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.] 34

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 (इंदौर नगर निगम) की ओर से पेश विद्वान वकील श्री मिश्रा सौरभ तर्क देंगे कि अपीलकर्ता अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम, अपने प्रिंसिपल का नाम, उन कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के नाम प्रदर्शित कर रहे थे जिनमें वे व्यापार कर रहे थे, इसे वाणिज्यिक शोषण के लिए आम जनता के ध्यान और जानकारी में लाने के इरादे से। इसलिए, वह तर्क देंगे कि यदि साइन बोर्ड जिसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से ज्ञात करना है और जो जानकारी "विज्ञापन" की अवज्ञा के तहत आती है, वह व्यावसायिक शोषण के लिए प्रदर्शित की जाएगी। का उल्लेख करते हुए

बृहन्मुंबई नगर निगम (2002) 4 एस. सी. सी. 219 और आई. सी. आई. सी. आई. बैंक बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम में इस न्यायालय का निर्णय।

बॉम्बे (2005) 6 एस. सी. सी. 404 में उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने व्यापार नाम और उन उत्पादों और सेवाओं को भी प्रदर्शित किया है जिनमें वे काम कर रहे हैं ताकि इसे आम जनता के ध्यान में लाया जा सके और उनके व्यवसाय, उनके द्वारा प्रदान किए

गए उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा सके जो नगर निगम में आयोजित "विज्ञापन" की अवज्ञा को पूरा करते हैं।

ग्रेटर बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम (2002) 4 एससीसी 219।वह करेगा।

आगे यह तर्क दिया जाता है कि वस्तु के नामों का प्रदर्शन "विज्ञापन" की अवज्ञा के तहत आएगा और इसलिए उत्पाद के नाम वाले नाम बोर्ड विज्ञापन कर के लिए उत्तरदायी होंगे। इस न्यायालय के निर्णयों की कसौटी पर बहस करते हुए जब हाथ में तथ्यों की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अपीलार्थियों के डिस्प्ले बोर्ड इस बात का संकेत देंगे कि उनका एक सामान्य उद्देश्य था कि वे ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करें और उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी दें जो वे प्रदान करेंगे और इस तरह आम जनता को उत्पाद, इसकी उपयोगिता आदि के बारे में विज्ञापन दें और ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन के समान होगा। काउंटर-एफ्री-डेविट में उठाए गए तर्कों को दोहराते हुए और निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करते हुए उन्होंने अपीलों को खारिज करने की मांग की है।

1. नई दिल्ली नगरपालिका समिति बनाम। एलाइड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

(1995) एसयूपीपी (4) एससीसी 150।

2. आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य बनाम। ग्रेटर का नगर निगम

बॉम्बे और ओआरएस। (2005) 6 एससीसी 404।

3. ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम। भारत पेट्रोलियम

निगम लिमिटेड (2002) 4 एस. सी. सी. 219।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

4. ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य बनाम। रतिलोकू

शेड्टी एयर 2002 बॉम 94।

5. श्री कृष्ण पिक्चर्स बनाम। प्रशासक, इंदौर नगर निगम, इंदौर **1980 जेएलजे 530।**

9. विवादित आदेश के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को भारती एयरटेल बनाम के फैसले पर भरोसा करके खारिज कर दिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ने 2012 के डब्ल्यू. पी. No.2296 में 12.01.2015 पर इस निष्कर्ष पर पहुँचकर कि रिट याचिकाओं में उठाए गए सभी आधारों का जवाब भारती एयरटेल में दिया गया है।

10. भारती एयरटेल (ऊपर दिए गए) में दिए गए निर्णय के अवलोकन से यह संकेत मिल सकता है कि उक्त मामले में शामिल मुद्दा या मुद्दे यह था कि क्या किसी एजेंसी के माध्यम से उसमें विवादित नोटिसों के तहत लगाया गया विज्ञापन कर स्वीकार्य है? अर्थात्, "क्या ठेकेदार को अंतिम कर की वसूली करने का अधिकार दिया जा सकता है?" यह इस पृष्ठभूमि में है जिसमें विवादित नोटिसों को रद्द कर दिया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि भारती एयरटेल (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत उन तथ्यों पर लागू नहीं होंगे जो इस छोटे से आधार पर विवादित आदेश टिकाऊ नहीं होगा। हालाँकि, यह यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि विज्ञापन कर लगाने का मुद्दा अभी भी बड़े पैमाने पर होगा। इस पृष्ठभूमि में, हम इस बात की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं कि आगे क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

11. तत्काल अपीलों में, दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं पर विज्ञापन कर के भुगतान की मांग की गई थी, जिस पर अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए आपत्ति जताई थी कि साइन बोर्ड पर कर लगाना अस्वीकार्य है और वे किसी भी उत्पाद या वस्तु का विज्ञापन नहीं कर रहे थे और केवल उस व्यवसाय प्रतिष्ठान का नाम प्रदर्शित किया था जिसमें वे उस वस्तु/उत्पाद का वर्णन या प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें वे व्यापार कर रहे हैं और जिस वस्तु के साथ वह व्यापार कर रहा है, उसके साथ अपने व्यापार नाम का प्रदर्शन या प्रदर्शन करना विज्ञापन के समान नहीं होगा, विशेष रूप से जब ऐसे खरीदारों को किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए बुलाकर संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कोई विवरण/विशेषताएँ आदि प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं और कहा गया था कि नोटिस को संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी।

35

मेसर्स हर्ष ऑटोमॉबिलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.] 36

12. इंदौर नगर निगम भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के तहत एक नगरपालिका है और संविधान की अनुसूची VII के तहत राज्य सूची-II की प्रविष्टि संख्या 5 के आधार पर राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 को संविधान, नगर निगम के विनियमन के लिए लागू किया है, जिसके तहत निगम को राज्य सूची की प्रविष्टि No.55 के तहत प्रदान किए गए "विज्ञापनों" (अन्यथा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन और रेडियो या टेलीविजन द्वारा प्रसारित विज्ञापन) पर कर सहित विभिन्न करों के संग्रह और संग्रह सहित सभी नागरिक निकाय कार्यों को करने का अधिकार दिया गया है।

13. प्रतिवादी अधिकारियों ने नगर निगम अधिनियम की धारा 132 (6) (1) के आधार पर मांग को बनाए रखने की मांग की है और कहा है कि प्रावधानों में कहा गया है:

“132. इस अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर -

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, निगम, किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन, जो राज्य सरकार इस संबंध में कर सकती है, पूरे नगर क्षेत्र में या नगर क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निम्नलिखित कर लगाएगी, अर्थात्:-

(क) धारा 135, 136 और 138 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भवनों या भूमि के सकल वार्षिक पट्टे के मूल्य के संदर्भ में शहर के भीतर स्थित भवनों या भूमि के मालिकों द्वारा देय कर, जिसे संपत्ति कर कहा जाता है।

(ख) जल कर, उन भूमि और भवनों के संबंध में जिनसे जल आपूर्ति की जाती है या जो पाइप के माध्यम से नगरपालिका के जल कार्यों से जुड़े होते हैं।

(ग) सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए और शहर के कचरे को हटाने और निपटान और सामान्य स्वच्छता के लिए एक सामान्य स्वच्छता उपकरण।

(घ) एक सामान्य प्रकाश कर, जिसमें सार्वजनिक सड़कों और स्थानों की रोशनी निगम द्वारा की जाती है।

(ङ) सेवा के संचालन और प्रबंधन के लिए और सेवा के मामले में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सामान्य कर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

(च) ऐसी वस्तुओं के प्रवेश पर स्थानीय निकाय कर जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माल के मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक की दर से घोषित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) के खंड (च) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय में ऐसा करना समीचीन है, तो वह निगम को उन वस्तुओं की घोषणा करने की शक्ति सौंप सकती है जिन पर स्थानीय निकाय कर लगाया जाएगा और उनकी दरें।

(3) स्थानीय निकाय कर के निर्धारण और संग्रह का तरीका वैसा ही होगा जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(4) उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत जल कर लगाया जाएगा -

(क) उन भवनों और भूमि पर जिन्हें संपत्ति कर से छूट दी गई है, निगम द्वारा निर्धारित दर पर। ((ख) जिन भवनों और भूमि को संपत्ति कर से छूट नहीं है, उन पर खंड (क) में निर्धारित दर के साथ-साथ संपत्ति कर का ऐसा प्रतिशत, जो निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत जल कर उन लोगों के जीवनकाल के दौरान उनके स्वामित्व वाले भवन और भूमि पर नहीं लगाया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट दी गई है और जल कनेक्शन घरेलू उद्देश्य के लिए है और जो आधे इंच कनेक्शन से अधिक नहीं है।

(5) उप-धारा (1) के खंड (ग), (घ) और (ङ) के अधीन कर निम्नलिखित समेकित दर पर लगाए जाएंगे:- (क) उन भवनों और भूमि पर जिन्हें निगम द्वारा निर्धारित दर पर संपत्ति कर से छूट दी गई

है (छोड़ दिया गया है) (ख) उन भवनों और भूमि पर जिन्हें खंड (क) के तहत निर्धारित दर पर संपत्ति कर से छूट नहीं दी गई है और संपत्ति कर का ऐसा प्रतिशत, जो निगम द्वारा निर्धारित किया जाए, इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि ऐसा प्रतिशत संपत्ति कर की राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(6) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त निगम इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रह सकता है।

मेसर्स हर्ष ऑटोमोबाइलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.] 38

जो राज्य सरकार इस संबंध में बना सकती है, वह निम्नलिखित में से कोई भी कर लगा सकती है, अर्थात्:

(क) निगम एजेंसी द्वारा साफ किए गए निजी शौचालयों, प्रिवीज़ या सेसपूल या खुले प्रीमिज़्ड या परिसरों पर अधिभोगकर्ता या मालिक द्वारा देय शौचालय या संरक्षण कर;

(ख) एक जल निकासी कर, जहां जल निकासी की एक प्रणाली शुरू की गई है; (ग) किसी भी पेशे या कला का प्रयोग करने वाले या शहर के भीतर कोई व्यापार या व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर कर;

((घ) छोड़ दिया गया

(ई) छोड़ दिया गया।

(च) शहर के भीतर बेचे जाने वाले मवेशियों के पंजीकरण पर शुल्क;

(छ) किसी भी बाजार में या सरकार या निगम से संबंधित या उसके नियंत्रण में किसी भी स्थान पर बिक्री के लिए माल का खुलासा करने वाले व्यक्तियों पर बाजार बकाया;

(ज) निगम द्वारा ली गई नगर नियोजन योजना के परिणामस्वरूप जिन संपत्तियों के मूल्य में सुधार हुआ है, उन पर एक सुधार कर; (i) निगम की सीमा के भीतर किसी मंदिर में समय-समय पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर कर;

(जे) निगम की सीमा के भीतर घरों, भवनों या भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर उनकी परिस्थितियों और संपत्ति के अनुसार कर

xxxx

(1) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर।”

14. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से संकेत मिलता है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अलावा अन्य "विज्ञापन" पर कर लगाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 133 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि निगम, एक विशेष बैठक द्वारा व्यक्तियों के वर्गों की धारा 132 के तहत किसी भी

कर को लागू करने या कर लगाने के लिए प्रस्तावित संपत्ति के विवरण, लगाए जाने वाले कर की राशि या दर और मूल्यांकन की प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव कर सकता है। अधिनियम की धारा 427 के तहत निहित शक्ति के आधार पर, प्रतिवादी निगम ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

नगर निगम (विज्ञापन) उपनियम, 1976 जो अधिनियम की धारा 430 के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे 1956 के अधिनियम की धारा 429 और 431 के तहत आवश्यकतानुसार 18.08.1978 पर आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित किया गया था। प्रत्यर्थी-निगम 1976 के उपनियमों के खंड 4,5 और 6 के तहत विज्ञापन कर लगाने और एकत्र करने की अपनी शक्ति के स्रोत का पता लगा रहा है।

15. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन बोर्ड या साइन बोर्ड या नाम बोर्ड "विज्ञापन" के रूप में काम करेंगे ताकि अधिनियम की धारा 132 को आकर्षित किया जा सके और इस तरह मांग को बनाए रखा जा सके? यदि उत्तर संबंधात्मक है, तो आवश्यक रूप से मांग को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि उत्तर नकारात्मक में है तो यह हमें इसे रद्द करने के लिए लंबे समय तक नहीं रोकेगा। आनुषंगिक प्रश्न जो उत्पन्न हो सकता है वह यह होगा कि क्या प्रदर्शन के सभी तरीके विज्ञापन के समान होंगे? या ऐसा प्रदर्शन केवल संभावित ग्राहक के लिए जानकारी होगी ताकि ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान के परिसर में उपलब्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा व्यवहार किए जाने वाले उत्पाद, वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार के बारे में जागरूक किया जा सके? इसका उत्तर देने के लिए, विभिन्न शब्दकोशों के तहत दी गई अभिव्यक्ति "विज्ञापन" के अर्थ पर ध्यान देना उचित और उचित होगा। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

(क) "ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 8 वां संस्करण"

विज्ञापन: 1. किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करने की क्रिया। 2. विज्ञापनों के उत्पादन और प्रसार का व्यवसाय

(ख) कानून और वाणिज्यिक निर्णय

विज्ञापन: जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए तरीके से दी गई सूचना। एडवर्ड्स बनाम लब्बॉक कंट्री, टेक्सस सिविल। ऐप., 33 S.W.2d 482। जनता या किसी संबंधित व्यक्ति को हस्तपत्रक, समाचार पत्र, टेलीविजन, बिल-बोर्ड, रेडियो द्वारा संप्रेषित जानकारी। पहले नट। निगम बनाम पेरिन, 99 मॉन्ट 454:43 पी. 2 डी 1073

(ग) द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका वॉल्यूम-।

विज्ञापन, जनता को मनाने के उद्देश्य से उत्पादों, सेवाओं, राय या कारणों को सार्वजनिक सूचना में लाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें

मेसर्स हर्ष ऑटोमॉबिलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.] 40

जो विज्ञापित किया जाता है उसके प्रति एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया दें। अधिकांश विज्ञापनों में बिक्री के लिए सामान को बढ़ावा देना शामिल है, लेकिन इसी तरह के तरीकों का उपयोग लोगों को सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करने, विभिन्न दान का समर्थन करने या कई अन्य उदाहरणों के साथ राजनीतिक उम्मीदवारों को वोट देने के लिए किया जाता है।

(घ) अंग्रेजी भाषा की कॉलिंग डिक्शनरी

समाचार पत्र में मुद्रित प्रदर्शन, टेलीविजन पर लघु सूचना, रेडियो पर घोषणा, आदि के रूप में किसी भी सार्वजनिक सूचना का विज्ञापन, जो सामान बेचने, किसी कार्यक्रम का प्रचार करने आदि के लिए बनाया गया हो।

विज्ञापन (1) मुद्रित सूचनाओं के वितरण, प्रसारण आदि द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, कार्यक्रमों आदि की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने की क्रिया या अभ्यास। (2) ऐसा व्यवसाय जो इस तरह का प्रचार करने में विशेषज्ञता रखता है, (3) विज्ञापन सामूहिक रूप से; प्रचार।

(ई) चैंबरों का निर्णय

विज्ञापन-विज्ञापन का कार्य; सार्वजनिक दृष्टिकोण और व्यवहार को सूचित करने और/या बदलने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक सूचना; रेडियो, टी. वी. के लिए रिकॉर्ड किया गया एक छोटा प्रदर्शन। आदि। वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन करना; समाचार।

16. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक और एक अन्य बनाम नगरपालिका के मामले में यह न्यायालय।

ग्रेटर बॉम्बे निगम (2005) 6 एस. सी. सी. 404 ने माना है कि

विज्ञापन में कुछ व्यावसायिक प्रदर्शनी या विज्ञापन में प्रमुखता से दिखाए गए उत्पाद या सेवा के लिए ग्राहकों का अनुरोध होना चाहिए। मुख्य रूप से, इसका एक वाणिज्यिक उद्देश्य होना चाहिए और यह प्रदर्शनकर्ता की व्यावसायिक गतिविधि का संकेत होना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान उसके व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जा सके।

“15. विज्ञापन एक ऐसा मामला है जो किसी उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण की ओर जनता या जनता के वर्ग का ध्यान आकर्षित करता है, जिसकी गणना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस उत्पाद, सेवा, व्यक्ति, संगठन या आचरण को बढ़ावा देने या विरोध करने के लिए की जाती है, जिसका उद्देश्य उत्पाद या उत्पादों की श्रृंखला की बिक्री या उपयोग को बढ़ावा देना है। विज्ञापन एक ऐसी जानकारी है जो निर्माता अपने उत्पादों या सेवाओं के बारे में प्रदान करता है। एक विज्ञापन उपभोक्ताओं को एक उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। विज्ञापन

आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं का होता है और संभावित ग्राहकों के लिए एक जानकारी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

और यह केवल कंपनी के नाम का प्रदर्शन नहीं है जब तक कि यह एक व्यापार चिह्न या व्यापार नाम न हो।”

17. उपरोक्त कार्रवाई बॉम्बे नगर निगम अधिनियम की धारा 328 ए की पृष्ठभूमि में दर्ज की गई थी। यह आगे निम्नलिखित प्रभाव अधिनियम के लिए आयोजित किया गया है:

“18. जिस संदर्भ में निगम अधिनियम की धारा 328-ए में विज्ञापन शब्द का उपयोग किया गया है और वाणिज्यिक और सामान्य भाषा में इसका विज्ञापनदाता द्वारा किए गए व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। इसमें कुछ व्यावसायिक प्रदर्शनी होनी चाहिए। विज्ञापन विज्ञापन में प्रमुखता से दिखाए गए उत्पाद या सेवा के लिए ग्राहकों को निर्देशित करने या अनुरोध करने के उद्देश्य से होगा। यदि धारा 328-ए में विज्ञापन शब्द को सामान्य बोलचाल का अर्थ नहीं दिया गया है, तो यह विसंगत स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि परिसर में कौन रह रहा है, यह इंगित करने के लिए घर पर लगाया गया एक साधारण नाम बोर्ड भी एक विज्ञापन होगा; जनता को दिखाई देने वाला या व्यवसाय के स्थान की पहचान करने वाला एक व्यापारी का नाम बोर्ड या साइनबोर्ड भी एक विज्ञापन होगा। निगम अधिनियम की धारा 328-ए के अर्थ के भीतर विज्ञापन का मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक उद्देश्य होना चाहिए और यह अपने व्यवसाय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से प्रदर्शक की व्यावसायिक गतिविधि का संकेत होना चाहिए।

19. वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने विभिन्न स्थलों पर एक रोशन एटीएम बोर्ड लगाया है और अपीलार्थी के अनुसार इसे केवल मौजूदा ग्राहकों और अन्य लोगों को एटीएम केंद्रों के स्थान के बारे में बताने के लिए रखा गया है, जो अपने आप में बड़े पैमाने पर जनता के हित में है और बैंक खाता खोलने के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। आम तौर पर, एटीएम केंद्र ग्राहकों को किसी भी समय, दिन या रात और राजपत्रित छुट्टियों पर भी बैंकिंग गतिविधियों या लेनदेन करने में सक्षम बनाते हैं। वे सार्वजनिक सेवा की प्रकृति में हैं क्योंकि वे ग्राहकों को अपने घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखने की आवश्यकता को दूर करने में सक्षम बनाते हैं; वे छुट्टियों और आपात स्थिति में भी अपने खाते में पैसे रखने में सक्षम होते हैं। एटीएम केंद्रों पर एक साइनबोर्ड होता है जो रोशन होता है और इस तथ्य के बारे में बताता है कि उस परिसर में बैंक का एटीएम केंद्र है। तथ्य यह है कि एक 41 है

परिसर में एटीएम केंद्र बताता है कि अपीलकर्ता बैंक वहां स्वचालित टेलर मशीन सेवा प्रदान कर रहा है और इसलिए सेवा प्रदाता की स्पष्ट रूप से पहचान की जाती है। इसमें संचार खाताधारकों और भावी खाताधारकों को भी निर्देशित किया जाता है। प्रदान की गई सेवा के स्थान की आपूर्ति की गई जानकारी को अप्रत्यक्ष रूप से वाणिज्यिक शोषण के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि साइनबोर्ड केवल मौजूदा ग्राहकों को लक्षित नहीं कर सकते हैं, बल्कि वे संभावित ग्राहकों के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे संभावित ग्राहकों को बताते हैं कि अपीलकर्ता बैंक द्वारा एटीएम की सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध कराई जा रही है जो संभावित ग्राहकों को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी कि उन्हें किस सेवा प्रदाता को चुनना है। साइनबोर्ड लोगों को यह पता लगाने में भी मदद करता है कि कौन सा बैंक दूसरे बैंक की तुलना में बेहतर सेवाएं दे रहा है। यह तथ्य कि एक बैंक में अन्य बैंकों की तुलना में अधिक एटीएम केंद्र हैं, प्रतिस्पर्धी व्यापार और व्यवसाय में, लोगों को उस बैंक को चुनने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह तथ्य कि एक बैंक के दिए गए स्थान पर एक एटीएम केंद्र है, उन्हें उस क्षेत्र में अधिक खाताधारक प्राप्त करने में मदद करता है। यह बैंक के वाणिज्यिक हित को भी पूरा करता है। विशेष कार्रवाई एक विज्ञापन है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने उत्पाद या सेवा का प्रचार करना चाहता है या नहीं। यदि किसी भी संचार द्वारा, संचारक लोगों को अपना उत्पाद या सेवा खरीदने या अपने उत्पाद या सेवा की ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, तो यह पहचानने के लिए एक मार्गदर्शक कारक होगा कि क्या संचारक का कोई विशेष संचार एक विज्ञापन के समान है।”

18. जब हम सामान्य रूप से हाथ में मौजूद तथ्यों और विशेष रूप से संलग्न तस्वीरों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए (2023 की सिविल अपील में अनुलग्नक पी-7 @2018 की एसएलपी (सी) 5761 और 2018 की सिविल अपील में अनुलग्नक पी-6 @2023 की एसएलपी (सी) 5703), प्रथम दृष्टया, यह संकेत देगा कि टाटा मोटर्स और हुंडई वाहनों के अपीलकर्ताओं के विक्रेताओं ने संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अपना नाम बोर्ड प्रदर्शित किया है जो बेचे जा रहे संबंधित वाहनों की प्रकृति को भी दर्शाता है और यह अपीलकर्ताओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान का अविभाज्य हिस्सा होगा। केवल उस उत्पाद के नाम का उल्लेख करने से जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाया जा रहा है, विज्ञापन के चरित्र में तब तक भाग नहीं लेगा जब तक और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

जब तक कि इस तरह के प्रदर्शन द्वारा ग्राहकों का अनुरोध नहीं किया जाता है। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक कार्यालयों और पेशेवरों या स्कूलों या कॉलेजों आदि सहित किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा नाम बोर्ड या साइन बोर्ड के प्रदर्शन के अभाव में यह संभावित ग्राहक को ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहां उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पहचान करना लगभग असंभव होगा जिससे संभावित ग्राहक खरीदने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि, यदि इस तरह से प्रदर्शित साइन बोर्ड किसी

भी तरह से किसी विशेष उत्पाद या वस्तु या सेवा को बढ़ावा देते हैं या दूसरे शब्दों में यह ग्राहकों को उत्पाद या वस्तु या सेवा के एक विशेष ब्रांड को खरीदने के लिए आकर्षित करेगा और ऐसा प्रदर्शन उत्पाद/सेवा के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ग्राहकों से अनुरोध करता है, तो यह विज्ञापन के बराबर हो सकता है, जबकि बाद वाला केवल जनता के लिए एक जानकारी होगी। ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधान नगर निगम या उसकी एजेंसी को नाम बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से जानकारी के प्रदर्शन के लिए कर की मांग करने का अधिकार नहीं देते हैं। यह ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों से सामने आएगा कि विधायी इरादा कभी भी साइन बोर्डों पर कर देयता लागू करना नहीं था, बल्कि केवल विज्ञापन पर था। प्रथम दृष्टया, साइन बोर्ड तत्काल अपीलों में अपीलकर्ताओं की कंपनियों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन बोर्ड होते हैं जो इंगित करते हैं कि उन्होंने अपने संबंधित परिसरों में जनता को उनके द्वारा व्यवहार किए जा रहे उत्पादों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदर्शित की है और यह ग्राहकों के किसी भी अनुरोध को प्रतिबिंबित नहीं करेगा या आम जनता को अपीलकर्ताओं द्वारा व्यवहार किए गए और बोर्ड पर प्रदर्शित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियों में भी, यदि यह माना जाता है कि यह विज्ञापन के बराबर है, तो ऐसा शुल्क कानून के अधिकार के बिना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए), 19 (1) (जी) और अनुच्छेद 265 का उल्लंघन होगा।

19. तत्काल मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मांग उठाए जाने पर दोनों अपीलकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई और इस तरह से उठाई गई आपत्तियों पर स्याही सूखने से पहले ही या दूसरे शब्दों में, इस पर विचार किए जाने से पहले ही उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो कि जल्दबाजी में था क्योंकि याचिका को खारिज कर दिया गया था, हालांकि एक अलग कारण से हमने अपनी मंजूरी की सदस्यता नहीं ली है, फिर भी अंतिम परिणाम को बनाए रखने की आवश्यकता है और उसी विस्तार पर हम मानते हैं कि आक्षेपित नोटिसों को प्रथम प्रतिवादी द्वारा आपत्तियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसके कारण उक्त नोटिस दिए गए थे। इसलिए, हम प्रथम प्रत्यर्थी को विवादित मांग नोटिसों के लिए अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में आपत्तियों की जांच करने का निर्देश देते हैं।

मेसर्स हर्ष ऑटोमोबाइलिस प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन [अरविंद कुमार, जे.]

इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से (8) आठ सप्ताह की बाहरी सीमा के साथ और अपीलार्थियों के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिए जाने की स्थिति में तेजी से और किसी भी दर पर, इसके तहत उठाई गई मांग को ऐसे आदेश या निर्धारण की तारीख से (8) आठ सप्ताह की आगे की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलार्थी कानून के अनुसार आयुक्त द्वारा पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पारित अंतरिम आदेश यहाँ ऊपर दर्शाई गई अवधि तक जारी रहेगा। विशिष्ट परिस्थितियों में लागत को आसान बना दिया जाता है।

20. तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान